तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र अवमानना/अपील/टी.ए./378/2005/दौसा रामकरण बनाम बाबूलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-10-2024	**खण्ड–पीठ** **श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य** **श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य** –––– **आदेश** हस्तगत् अवमानना प्रार्थनापत्र राजस्व मण्डल की खण्डपीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 10–5–99 की अवहेलना किये जाने पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 2– उभय पक्ष एवं उनके विद्वान अधिवक्तागण अनुपस्थित। **3–** प्रार्थी रामकरण द्वारा यह अवमानना प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल के समक्ष दिनांक 15–01–2005 को इस आशय का पेश किया गया है कि इस प्रकरण से संबंधित एक अन्य अपील अपील/टी.ए./दौसा/ संख्या 9/98 मण्डल के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अगली पेशी दिनांक 11–01–2005 जयपुर बैंच में नियत की गई है जिसमें बाजदायरी का प्रार्थना पत्र लम्बित चल रहा है। अपील के साथ इस प्रकरण में स्थगन आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व सपठित धारा 151 उनवानी घनश्याम बनाम रामकिशोर पेश किया गया है। उक्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को आदेश दिनांक 10–5–99 द्वारा पाबंद किया गया था कि वे विवादित आराजी को मण्डल के अन्य आदेश होने तक रहन, बय, मुंतकिल नहीं करें। 4– उक्त अपीलीय प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष ने स्थगन आदेश दिनांक 10–5–99 की जानकारी होने के बावजूद विवादित भूमि खसरा नंबर 4 एवं 38/5 का बेचान कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश की अवहेलना की है। प्रार्थी द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र में यह भी वर्णित किया है कि प्रार्थी को मण्डल के स्थगन आदेश की नकल प्राप्त करने पर इस तथ्य का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र अवमानना/अपील/टी.ए./378/2005/दौसा रामकरण बनाम बाबूलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पता चला था, जिस पर प्रार्थी ने प्रमाणित प्रति वाद संख्या 4/2000 उनवानी रेवड़ बनाम बाबूलाल, प्रमाणित प्रति बेचान इकरारनामा दिनांक 12–12–2001 तथा प्रति बेचान एग्रीमेंट दिनांक 22–6–99 मंगवाई। उक्त दस्तावेजों की भाषा से यह भी प्रकट होता है कि भूमि का विक्रय, हस्तांतरण, बेचान व मौके पर कब्जे का भी परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा मण्डल के आदेश दिनांक 10–5–99 की पूर्णतया अवहेलना की गई है। अतः अप्रार्थीगण को न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करने से कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जावे। 5– हस्तगत् अवमानना प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष वर्ष 2005 में पेश किया गया है अर्थात उक्त प्रकरण करीब 20 वर्ष पुराना है। पत्रावली की आदेशिकाओं को देखने से यह ज्ञात हुआ है कि प्रथम पेशी पर प्रार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज है इसके बाद वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये हैं। अप्रार्थी बाबूलाल के नाटिस तामील करवाये गये है उनकी ओर से वकील द्वारा अभिभाषक पत्र भी पेश किया गया है किन्तु किसी भी पेशी पर मण्डल की आदेशिका में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है। उक्त प्रकरण सहमति से शीघ्र निस्तारण के लिए कई बार राष्ट्रीय लोक–अदालत में भी नियत किया गया किन्तु कोई भी पक्षकार अथवा वकील उपस्थित नहीं आये हैं। 6– मण्डल की आदेशिकाओं में लगातार तारीखें तब्दील होती रही है और उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। 7– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10–5–99 की अवहेलना अप्रार्थी द्वारा किया जाना बताया गया है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत् प्रकरण में न तो कोई मौखिक साक्ष्य साक्ष्य पेश की गई है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्श करवाये गये है जबकि अवमानना प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर था। प्रार्थी ने न्यायालय के आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र अवमानना/अपील/टी.ए./378/2005/दौसा रामकरण बनाम बाबूलाल व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 10–5–99 को साबित करने हेतु न तो कोई मौखिक साक्ष्य पेश की है न कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है। इस कारण प्रार्थी हस्तगत् अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सिद्ध करने में असफल रहा है। हालांकि प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय के आदेश दिनांक 10–5–99 की फोटो–प्रति पेश की है तथा इकरानामा दिनांक 22–5–99 की प्रति भी पेश की है परन्तु उक्त दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रदर्श नहीं करवाया गया है। इस कारण प्रार्थी अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों को भी सिद्ध नहीं करा पाया है। अतः इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी इस तथ्य को साबित करने में असफल रहा है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 10–5–99 की अवहेलना की गई हो। ऐसी स्थिति में उक्त अवमानना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। 8– उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अवमानना प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पुरूषोतम लाल सैनी)** **सदस्य** **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	